14-11-2022

Form No. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम् गजेन्द्र सिंह वगैरह

किस्म मुकदमा:– विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता — मुकदमा नम्बर :– 83 /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख हुक्म में जारी हुए
14-11-22	तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2035 दिनांक 15.07.2022 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम रतनपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1706, 1236, 1237, 1238, 1239, 1246, 1250, 1251, 1231, 1256 — / / में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एव. नियम 58, 59, 60, 66, व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल, जमाबंदी, नक्शा, सहमति पत्र, ग्राम पंचायत नाथूसर का रास्ते हेतु प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का नाथूसर परिशिष्ट ए एवं अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर करने पर पत्रावली पेश हुयी। विविध प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेज का ध्यानपुर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। जिससे प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से भिजवाये गये रास्तें के प्रस्ताव तन ग्राम रतनपुरा मे रास्ता ढाणी खान्याबाली से ढाणी चौरियावाली तक जाने वाला रास्ता जो मौके पर चालू होने से उक्त प्रचलित रास्तें को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने हेतु न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में निर्णय आदेश मेंरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर न्यायालय निर्णय अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर पत्रावली फेशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कार्यालय में जमा हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.11.18 18:16:46 IST Reason: SelfAttested 14/11/2 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी :– दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 83 / 2022

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

।।आदेश।।

निर्णय दिनांक:– 14-11-2022

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, सहमति पत्र (संबंधित खातेदार), अनापत्ति प्रमाण पत्र, अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर एवं श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिसके अनुसार तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम रतनपुरा की भूमि ख.न. 1706, 1236, 1237, 1238, 1239, 1246, 1250, 1251, 1231, 1256 — मे से जा रहे ढाणी खान्यावाली से ढाणी चौरियांवाली तक रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का नाथूसर ने अपनी रिपोर्ट में मौकें पर उक्त रास्ता 50 वर्षों से कच्चा/पक्का/ग्रेवल सडक/ डामरीकरण सडक चालू होकर सार्वजनिक हित में बताया गया है। साथ ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है।

इस प्रकार विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम रतनपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1706, 1236, 1237, 1238, 1239, 1246, 1250, 1251, 1231, 1256 हैक्टर (लगभग रास्ते की चौडाई 20 फुट) भूमि मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शें में परिशिष्ठ – ए में वर्णितानुसार करावें एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमियों में से प्रस्तावित रास्तें को गैर मुमकीन रास्ता के रूप दर्ज किये जाने एवं गैर मुमकीन रास्तें में आने जाने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान् के खाते में ही दर्ज रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेगें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर एक माह में पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

14/11/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीमाधोपुर(सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:46 IST
Reason: SelfAttested